

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 273/2021

लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड, मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 2 डी, एफ एल टावर, गोपीनाथ मार्ग, एम आई रोड, जयपुर 302001

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. प्रमोद कुमार पुत्र श्री महाबीर प्रसाद, पता— ग्राम छावसरी, वार्ड नं० 1, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
2. मोनिका देवी पत्नि प्रमोद कुमार, पता— ग्राम छावसरी, वार्ड नं० 1, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
3. महाबीर प्रसाद पुत्र श्री रामदेवा राम, पता— ग्राम छावसरी, वार्ड नं० 1, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
4. सरबती देवी पत्नि महाबीर प्रसाद, पता— ग्राम छावसरी, वार्ड नं० 1, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
5. संदीप कुमार पुत्र सांवत राम, पता— ग्राम छावसरी, वार्ड नं० 1, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा ( एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० ) – प्रार्थी बैंक की ओर से
2. एडवोकेट श्री अशोक लाम्बा— अप्रार्थी सं० 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण सं० 2 लगायत 5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

### आदेश

दिनांक 31.03.2022

प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने वित्तीय संस्था से दिनांक 31.07.2019 को जरिये लोन खाता संख्या PL 7823 राशि 18,00,000/- रुपये अक्षरे अठारह लाख रुपये मात्र का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके सहऋणियों ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभूतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस सम्पत्ति पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया जिसका विवरण नीचे दिला है। बंधक सम्पत्ति का विवरण— श्री प्रमोद कुमार पुत्र महाबीर प्रसाद मालिक सम्पत्ति आबादी प्लाट पट्टा नं० 19, ग्राम छावसरी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका माप लगभग 287.22 वर्ग गज है।

  
जिला कलक्टर झुंझुनू


चतुर्सीमा-	उत्तर में	- हरिराम की भूमि
	दक्षिण में	- महाबीर की भूमि
	पूर्व में	- फुलचन्द की भूमि
	पश्चिम में	- रास्ता

प्रार्थी कम्पनी अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र ( last audited balance sheet ) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खंड ( च ) में यथा निर्धारित एक सौ करोड रूपए से अधिक की आस्ति वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जिसको केन्द्रीय सरकार ( भारत सरकार ) के वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.02.2020 को जारी अधिसूचना का.आ. 856 ( अ ) के द्वारा पचास लाख रूपए और उससे अधिक तथा दिनांक 12.02.2021 को जारी अधिसूचना का.आ 652 ( अ ) के द्वारा बीस लाख रूपए और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणों के संबंध में प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। अधिसूचना पंजीकरण प्रमाण पत्र व बैलेंस शीट की प्रति संलग्न है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीकम व अतिदेय होने पर दिनांक 20.04.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि लोन खाता संख्या - PL7823 कुल राशि 25,22,772/- रूपये दिनांक 07.07.2021 तक शेष व दिनांक 07.07.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13( 2 ) के अन्तर्गत दिनांक 13.07.2021 को रजि0 नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी पुनः देय राशि का भुगतान प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को नहीं दिया। अप्रार्थीगण ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित सम्पति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की संख्या 2 में दिया गया है का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।


वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की कुछ किश्ते जमा कराई गई है। प्रार्थी को समय दिया जावे ताकि वह बकाया ऋण की राशि जमा करवा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जावे।

  
जिला कलेक्टर मुन्शी

हमने प्रार्थी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिव्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिव्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी सं० 1 प्रमोद कुमार पुत्र श्री महाबीर प्रसाद मालिक सम्पत्ति आबादी प्लाट पट्टा नं० 19, ग्राम छावसरी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप लगभग 287.22 वर्ग गज है का पजेशन प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 31.03.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(एल०एस०कुडी)  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू